मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 22.03.2026

अनुमानित कीमत ₹ 55 लाख के अवैध गांजा के साथ 01 अंतर्जनपदीय शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में प्रयुक्त 02 अदद चार पहिया वाहन (कार व पिकअप) बरामद—

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने, अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 22.03.2026 थानाध्यक्ष अहरौरा अजय कुमार मिश्र मय पुलिस टीम द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिनौता स्थित सुरभी शोध संस्था के पास से 01 शतिर गांजा तस्कर विनोद कुमार पुत्र गंगा प्रसाद पाण्डेय निवासी विमौर थाना को0नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे के कार वाहन संख्या UP 32 KT 8117 में 01 बोरे में रखा 25 किलोग्राम गांजा व पिकअप वाहन संख्या CH 01 TB 6982 में 03 बोरो में रखे 90 किलोग्राम गांजा (कुल 04 बोरो में 115 किलो ग्राम गांजा) बरामद किया गया तथा पिकअप का चालक मौके से भागने में सफल रहा। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-63/2026 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। गांजा परिवहन में प्रयुक्त उक्त दोनों वाहनों को 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पिकअप और चार पहिया कार में अवैध गांजा छिपाकर उड़ीसा से लेकर गोण्डा जा रहे थे कि पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया। मै कार में आगे-आगे निगरानी करते हुए चल रहा था तथा मेरा एक अन्य साथी पीछे से पिकअप वाहन को ले कर आ था। मौके पर भौतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर मेरा एक साथी भागने में सफल रहा।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

विनोद कुमार पुत्र गंगा प्रसाद पाण्डेय निवासी विमौर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण—

115 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 55 लाख)

गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहन पिकअप CH 01 TB 6982 व कार UP 32 KT 8117।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-63/2026 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —
थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिनौता स्थित सुरभी शोध संस्था के पास से, दिनांकः 22.03.2026 को समय 11.16 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —
थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, मुख्य आरक्षी शशि प्रताप सिंह व मुख्य आरक्षी अमिताभ राय थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।